नकली नोटों का महाजाल

कुमकुम मिश्रा
सीनियर रिसर्च फैलो, राजसं.

आपकी जेब में कितने नकली नोट हैं ? यह सवाल पहले किसी को भी चिढ़ा सकता था । अब जो सुनता है वह सतर्क हो जाता है । यह हमारी हकीकत का हिस्सा बन गया है । यह यक्ष प्रश्न बन गया है । भारत सरकार इसके नतीजे जानती है । गलत जवाब का अंजाम घातक होगा । शायद यही सोचकर उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है । पर सवाल अपनी जगह बना हुआ है । रोज आकार प्रकार में बढ़ता जा रहा है । इसका एक जवाब और एक हद तक सही जवाब यही है कि कोई नहीं जानता कि नकली नोट का मायाजाल कितना बड़ा और कितना बेरहम है । हॉं, पहले इस बारे में खबर लोगों को चौंकाती थी, अब वह सावधान रहने का निमंत्रण देती है । हर कोई संदेह के दायरे में है जो नकली नोट के कारोबारी हैं वे भी और जो अनजान शिकार हो रहे हैं वे भी।

जानकारो में भी दो मत हैं । पहला यह कि हर तीसरा नोट नकली है । दूसरा यह कि हर छठवां नोट नकली हो सकता है । रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि उसकी व्यवस्था में भी नकली नोटों की भारी घुसपैठ हो गयी है । इससे अलग एक प्रतिक्रिया अपनी सामाजिक हालत पर है कि वे ज्यादा सुखी हैं जिनकी जेब में कोई नोट नहीं है, छोटा या बड़ा । हालांकि यह आदम जमाने का सच है । लेकिन उतना ही सच ये भी है कि देश का बहुत बड़ा सम्प्रदाय मौद्रिक व्यवस्था के बाहर है । जो भी हो जेब का वजन आमदनी से जुड़ा होता है । जिसकी आमदनी कम है उसकी जेब हल्की रहेगी। नकली नोट का खुलेआम चलन में आना दोनों को बुरी तरह प्रभावित करता है । गरीब और अमीर । रिर्जव बैंक के गवर्नर का दस्तखत कुछ ज्यादा ही चमकदार दिखने लगा है । जाहिर है कि यह समस्या नकली और असली नोटों की हदों से परे हो गयी है । नकली और असली का भेद जब मिट जाता है तभी ऐसा होता है । इस समस्या के दायरे में सौ, पॉच सौ और हजार के नोट आ गये हैं । छोटे नोटों की गिनती चिल्लर में की जा रही है ।

एक दशक पहले अपने आतंकी जाल का खर्चा-पानी जुटाने के लिए अफीम की तस्करी और उसकी काली कमाई के कारोबार में पाकिस्तानी सत्ता शामिल हो गयी । उसने आई एस आई को जिम्मा सौंपा । वह पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी है । आई एस आई ने कारोबार में दखल देकर उनके चेहरे बदल दिये जो सरगना थे । कारोबार का उड्डा भी बदला । नया अड्डा बना दुबई और मुम्बई, उसी की पहली खेप जब मुंबई पहुँची तो हमारी सरकारी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हुए । क्यों न हो? मामला 600 करोड़ रूपये का जो था । वह सरकारी बैंक में जमा कराया गया था। इस तरह नकली नोट हमारे बैंक में पहली बार दाखिल हुआ । उससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को साठ करोड़ रूपये मिले । भारत सरकार की एजेंसियों ने छानबीन की और उस जाल के 32 लोगों को हिरासत में लिया गया । वे राजनीतिक संरक्षणजीवी थे । उन्हें बचाने के लिए फेरा से फेमा लाया गया यानी कानून ही बदल दिया गया । इससे नकली नोटों के कारोबारियों की ऊंची पहुँच की थाह मिलती है । उसी समय से पाकिस्तान नकली नोट छापकर भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है । उस समय पाकिस्तान उतने ही नोट छापता था जिससे कि उसकी खुफिया एजेंसी का खर्चा-पानी निकल जाये । धीरे-धीरे उसका चस्का बढ़ा और सफलता मिलने लगी तो यह कारोबार

फैलने लगा । अब पाकिस्तान हर महीने 50 हजार करोड़ रूपये के नकली नोट छापकर भारत भेज रहा है जिससे उसे 1 लाख बीस हजार करोड़ रूपये के असली नोट मिल रहे हैं ।

नकली नोटों के कारोबार पर जैसी पैनी नजर रखी जानी चाहिए वैसा किया नहीं जा रहा है । जबकि नशीले पदार्थों, हवाला के पैसे और नकली नोटों की बरामदगी लगातार हो रही है । जैसे कि 29 जनवरी, 2009 को बीएसएफ ने पंजाब के अटारी सेक्टर से 13 किलो हेरोइन के साथ-साथ 33 लाख रूपये के नकली नोट भी बरामद किये थे । नवंबर, 2000 में पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने तस्करों को हेरोइन के अलावा, 50,000 रूपये के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था । उसी क्षेत्र में उस घटना के कुछ समय पहले ही तस्करों को हथियारों, नारकोटिक्स तथा 21 लाख रूपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था । यह कोई हाल की बात नहीं है बल्कि पिछले कई वर्षों से नकली नोटों के साथ होने वाली इन गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है । पहले भारत में घुसने वाले आतंकवादियों को अपना खर्चा चलाने के लिए नकली नोट दिये जाते थे । लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से नकली नोटों का यह धंधा चल रहा है ।

इस पर भारत सरकार का रवैया अभी भी शुतुरमुर्गी है । सरकार की कोशिश रही है कि इस मामले को न देखा जाये, न ही कुछ किया जाये । सरकार के लिए विकास दर ही गंगा है जिसमें एक डुबकी से सारे पाप कट जाते हैं । इस काले कारोबार से जो बनावटी अर्थव्यवस्था पैदा होती है वह विकास दर को ऊंचा उठाने में मदद करती है । आखिरकार जब कई लाख करोड़ नकली नोट बाजार में चलेंगे तो उससे खरीद फरोख्त भी होगी । तब एक ऐसा तबका पैदा होगा जो बिना कमाए बेहिसाब खर्च करेगा । उससे विकास दर के आंकड़े को बढ़ाने में मदद मिलेगी । वे यह नहीं देखना चाहते कि नकली नोटों से भारतीय अर्थव्यवस्था का उसी तरह दोहन हो रहा है जैसा कभी अंग्रेज किया करते थे । पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय बाजार में नकली नोटों की बाढ़ ला दी है। इससे मामले की गंभीरता और बढ़ते संकट के खतरे को आसानी से समझा जा सकता है। इसके कई नये-नये आयाम सामने आ रहे हैं । एक यह कि जिस स्याही से रिजर्व बैंक की नोट मुद्रा इकाई में नोटों की छपाई होती है उसकी चोरी का पिछले दिनों पता लगा । दूसरा पहलू इससे भी अधिक चिंताजनक है कि रिजर्व बैंक का वह साँचा चोरी हो गया है जिससे बड़े नोट छापे जाते थे । यह अत्यंत गंभीर घटना है । रिजर्व बैंक का साँचा बड़े अफसरों की देखरेख में इधर-उधर जाता है ।

इन दोनों घटनाओं की उच्च स्तरीय जाँच हो रही है । इस दौरान भारत सरकार की एजेंसियों ने पता लगाना शुरू किया है कि नकली नोटों के कारोबारी अड्डे कहाँ-कहाँ हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कितने पैमाने पर नकली नोट बाजार में आ गये हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि नकली नोट बाजार में चल रहे हैं और जगह-जगह पुलिस के हाथ लग रहे हैं । यह भी हो रहा है कि नकली नोट बैंकों में दाखिल हो चुके हैं । एटीएम से भी नकली नोट निकलने की कई घटनाएं सामने आयी हैं । राज्य सभा सदस्य ब्रजेश पाठक ने उस दिन सदन में सनसनी पैदा कर दी जब वे हाथ में पाँच सौ रूपये का नोट लहराकर बता रहे थे कि उन्हें यह नकली नोट संसद भवन के एटीएम से मिला है। इससे यह पता चलता है कि आर्थिक अस्मत लूटने वालों के हाथ अपार हो गये हैं ।

जितने नकली नोट पकड़े जाते हैं उससे कहीं अधिक वे चलन मे बने रहते हैं । इसका कोई सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पकड़े जाने और चलन में बने रहने वाले नोटों का अनुपात क्या है । लंबी-चौड़ी भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश की सीमा पर नकली नोटों की तस्करी बढ़ रही है । जॉच एजेंसियों ने यह भी पता लगाया है कि पाकिस्तान में जो नकली नोट छापे जा रहे हैं, उसके लिए कागज और स्याही ब्रिटेन, स्विटजरलैण्ड और स्वीडन से मंगवायी जा रही है । हालांकि नकली नोटों का चलन बहुत पहले से है लेकिन आज जिस प्रकार से आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर अत्यंत संगठित तरीके से नकली करेंसी का फैलाव हो रहा है वह गंभीर चिन्ता का विषय है । पाकिस्तान से लेकर दुबई, बैंकाक, सिंगापुर और नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की भूमि का उपयोग इस काम के लिए किया जा रहा है और आई.एस. आई इस पूरे काम का समन्वय करती है ।

लगभग सभी प्रान्तों में नकली करेंसी के बड़ी मात्रा में पाये जाने से इसकी विकरालता समझ में आती है । हालांकि बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक इस समस्या के प्रति काफी सजग दिखाई देते हैं लेकिन कोई भी कदम स्थिति को सुधारने में नाकाम साबित हो रहा है । एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में नकली नोटों की मात्रा एक लाख करोड़ रूपये तक पहुँच चुकी है । रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में 100 रूपये के नकली नोटों की संख्या में 60 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि 500 और 1000 रूपये के नकली नोटों की मात्रा में क्रमश: 75 और 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सरकारी आंकड़े स्वाभाविक रूप से केवल उसी संख्या को दर्शा सकते हैं जो पुलिस रिकार्ड में दर्ज हैं । वर्तमान नियमों के अनुसार नकली नोटों की पहचान होने पर उसे जब्त करने का प्रावधान है । पुलिस को इन नोटों को नासिक स्थित सरकार की सिक्योरिटी प्रेस में भेजना होता है जहॉ इसकी प्रमाणिकता की जॉच होती है । लेकिन यह यदा-कदा ही होता है और सामान्यत: निजी बैंक तो नकली नोटों पर मुहर लगाकर ग्राहक को ही वापस दे देते हैं । इस प्रकार नकली नोटों की विकरालता सरकारी आंकड़ों में दर्ज ही नहीं हो पाती । नेशनल क्राईम ब्रांच ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2007 में नकली नोटों को जब्त करने के 2204 मामले दर्ज हुए और 10 करोड़ रूपये की नकली करेंसी जब्त की गयी ।

पूर्व में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर नकली नोटों का सहारा लिया जाता रहा है और नकली नोटों का बाजार आतंकवादियों के स्थानीय संपर्कों के माध्यम से बढ़ता रहा है लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अब शत्रु देशों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने के लिए नकली नोटों को बड़े पैमाने पर हथियार बनाया जा रहा है नकली नोटों की विकराल समस्या के बावजूद संबंधित विभागों में संवेदन शीलता की कमी दिखाई देती है । नकली करेंसी के मामले मे चार संबंधित विभाग हैं । सीबीआई, राजस्व इंटैलिजेंस निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनफोर्समेंट निदेशालय । हालांकि आई.बी एवं अन्य विभागों द्वारा इस विषय में अत्यंत गंभीर रिपोर्ट दी गयी है लेकिन केन्द्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई दिखाई नहीं देती है ।

नकली करेंसी का मामला केवल कानून व्यवस्था अथवा आतंकवाद से ही संबंधित नहीं है । यह देश के संपूर्ण आर्थिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने की क्षमता रखता है। करेंसी छापने का

अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक का ही है । देश में कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाते हुए सरकार अपने खर्च के एक महत्वपूर्ण भाग की पूर्ति रिजर्व बैंक से उधार लेकर करती है और रिजर्व बैंक इसके लिए अतिरिक्त नोट छापता है । हालांकि इस कारण से देश में मुद्रा स्फीति बढ़ती है फिर भी कल्याणकारी खर्च को पूरा करने के लिए यह औचित्यपूर्ण है । यानी करेंसी छापकर सरकार अपने आवश्यक खर्चे निपटाती है लेकिन यदि अपराधी, शत्रु देश और आतंकवादी संगठन नकली नोट छापकर देश में उन्हें चलन में ले आते हैं तो न केवल क्रयशक्ति गलत हाथों में चली जाती है बल्कि देश में भारी मुद्रा स्फीति भी फैल सकती है । हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है । भारी मात्रा में नकली करेंसी आ जाने से लोगों का करेंसी पर से विश्वास भी उठ जाता है और वे आनन-फानन में धातुओं, जायदाद और अन्य वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं ।

किसी भी हालत में नकली नोटों के इस मायाजाल के कहर से निजात पाना आवश्यक है । नकली नोटों का हमला एक नई तरकीब है । सरकार को चाहिए कि इस काम के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण बनाकर अपनी तमाम एजेंसियों को उसके सहयोग में लगा दे । भारत की खुफिया एजेंसियाँ इस काम के लिए सक्षम हैं । जरूरत है तो केवल सार्थक पहल और प्रबल इच्छा शक्ति की।

वर्ष	नोट चलन में (दस लाख में)	वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में (%में)	नोट चलन में (मूल्य करोड़ में)	वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में (%में)
2001	35,704	-	2,12,460	8.3
2002	38,338	7.4	2,44,655	15.1
2003	37,309	2.7	2,75,096	12.4
2004	38,336	2.8	3,19,761	16.2
2005	36,984	3.5	3,61,227	13.0
2006	37,851	2.3	4,21,911	16.8
2007	39,831	5.2	4,96,138	17.6
2008	44,225	11.0	5,81,598	17.2
2009	48,963	10.7	6,81,113	17.1